

## (CENTRAL TABLE OF PRECEDENCE)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, 1979

Pl. upload on  
our Website

22/4/15

सं 0 33-प्रज।79—इस विषय में जारी की गयी सभी पहली अधिसूचनाओं का अधिकरण भारत हुए, निम्नांकित व्यक्तियों के रैंक तथा पूर्वता के सम्बन्ध में निम्न सारणी, जिसे राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है, आम सूचना के लिये प्रकाशित की जाती है :—

- (1) राष्ट्रपति;
- (2) उप-राष्ट्रपति ;
- (3) प्रधान मंत्री ;
- (4) राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्यों में ;
- (5) भूतपूर्व राष्ट्रपति ;
- (5ए) उप-प्रधान मंत्री ;
- (6) भारत का मुख्य न्यायाधिपति ;  
लोक सभा का अध्यक्ष ;
- (7) केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री ;  
राज्यों के मुख्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में ;  
उपाध्यक्ष, योजना आयोग ;  
राज्य सभा और लोक सभा में विपक्ष के नेता ;
- (7ए) भारत रत्न से विभूषित व्यक्ति ;
- (8) भारत स्थित विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी ;  
राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त ;  
राज्यों के मुख्य मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर ;  
राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्यों से बाहर ।
- (9) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ;
- (10) राज्य सभा के उप-समापति ;  
राज्यों के उप-मुख्य मंत्री ;  
लोक सभा का उपाध्यक्ष ;  
योजना आयोग के सदस्य ;  
केन्द्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री ;
- (11) भारत के महान्यायवादी (एटोर्नी जनरल) ;  
मंत्रिमंडल के सचिव ;

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ;  
भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल) ;  
उप-राज्यपाल अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में ;

- (12) फुल जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष ;
- (13) भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री ;
- (14) राज्यों के विधान-मंडलों के सभापति और अध्यक्ष, अपने-अपने राज्यों में ;  
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति, अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ;
- (15) राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, अपने-अपने राज्य में ;  
संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद्, अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में ;  
केन्द्र के उप मंत्री ;
- (16) लेफ्टिनेन्ट जेनरल अथवा उसके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष ;
- (17) अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष ;  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष ;  
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष ;  
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति, अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ;  
उच्च न्यायालयों के प्युने जज, अपने-अपने क्षेत्र में ;
- (18) राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री, अपने-अपने राज्य से बाहर ;  
राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष, अपने-अपने राज्य से बाहर ;  
मोनोपोलीज तथा रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन का अध्यक्ष ;  
राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में ;  
राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में ;  
संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में ;
- (19) बिना मंत्रिपरिषद् वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यायुक्त अपने-अपने क्षेत्रों में ;  
राज्यों के उपमंत्री अपने-अपने राज्यों में ;  
संघ शासित क्षेत्रों की विधान-सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद का उप-सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों में ;
- (20) राज्यों के विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों में ;  
बाहर ;  
राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर ;  
उच्च न्यायालयों के प्युने जज, अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ;
- (21) संसद सदस्य ;
- (22) राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्यों से बाहर ;
- (23) आर्मी कमांडर/उपस्थल सेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समान पद वाले अधिकारी ;  
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में ;  
भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त ;  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आयुक्त अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य ;  
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ;  
फुल जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी ;

24.

25.

26.

1—इस

2—सा

3 Cabin

भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों-न सहित) ;

अल्पसंख्यक आयोग का सचिव ;

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आयोग का सचिव ;

राष्ट्रपति का सचिव ;

प्रधान मंत्री का सचिव ;

सचिव, राज्य सभा/लोक सभा ;

महान्यायाधिकर्ता (सोलिसिटर-जनरल) ;

उपाध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ;

24. लेफ्टिनेन्ट जनरल कैरैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी ;

25. भारत सरकार के अपर सचिव ;

अपर महान्यायाधिकर्ता (एडीशनल सांलिसिटर जनरल) ;

राज्यों के महाधिवक्ता ;

टैरिफ आयोग का अध्यक्ष ;

स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज दि अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त ;

संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी, पार्षद, अपने अपने संघ शासित क्षेत्रों के बाहर ;

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्यों से बाहर ;

उन-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल)

संघ क्षेत्रों के विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद्

उप-सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों के बाहर ;

निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो ;

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा दल ;

महानिदेशक, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस ;

निदेशक, आसूचना ब्यूरो ;

उप-राज्यपाल, अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर ;

सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ;

सदस्य, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज कमीशन ;

सदस्य संघ लोक सेवा आयोग ;

संघ शासित क्षेत्रों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद, अपने-अपने संघ

शासित क्षेत्रों के बाहर ;

मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसिपल

स्टाफ ऑफिसर्स ;

संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद्

का सभापति अपने-अपने संघ शासित क्षेत्रों से बाहर ;

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी ;

पूर्वता सारिणी का क्रम राजकीय समारोहों के लिए है और सरकार के दि

प्रतिदिन के कार्य संचालन पर लागू नहीं होता है ।

सारिणी में व्यक्तियों की पूर्वता अनुच्छेदों (आर्टिकल्स) की संख्या के क्रम से होगी ।

एक ही अनुच्छेद की प्रविष्टियां वर्णक्रमानुसार रखी गयी हैं, जिनका नाम एक

ही अनुच्छेद में दिया गया है, उनकी परस्पर पूर्वता उस अनुच्छेद में प्रविष्टि की

तिथि के अनुसार नियत होगी। किन्तु जब कभी एक ही अनुच्छेद से प्रविष्ट विभिन्न राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति अपने राज्यों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के बाहर किसी समारोह में उपस्थित होंगे और उनकी प्रविष्टि की तिथि निर्धारित करना कठिन होगा, तब उनकी परस्पर पूर्वता, उन लोगों के बाद जिनकी पूर्वता अनुच्छेद में प्रविष्टि की तिथि के आधार पर निर्धारित जायेगी, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नामों के वर्ण क्रमानुसार नियत जा सकती हैं।

नोट 3—अनुच्छेद 7 में, राज्य में होने वाले सरकारी समारोहों में सम्बन्धित मुख्य मंत्री संघ के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री (मंत्रियों) से पूर्वता प्रदान की जायेगी।

नोट 4—अनुच्छेद 8 में :—

(क) भारत में असाधारण राजदूत तथा पूर्णधिकारी तथा राष्ट्र मण्डलीय देशों उच्चायुक्तों को विभिन्न राज्यों के राज्यपालों से उनके संबंधित राज्यों से बाहर सामूहिक रूप से पूर्वता प्राप्त होगी ;

(ख) राज्यों के राज्यपालों को अपने-अपने राज्यों से बाहर सामूहिक रूप से प्रायः राज्यों से बाहर मुख्य मंत्रियों से पूर्वता प्राप्त होगी।

नोट 5—गणमान्य विदेशी व्यक्तियों और भारतीय राजदूतों, उच्चायुक्तों और पूर्णधिकार मंत्रियों को उनके भारत आने पर विदेश मंत्रालय उपयुक्त पूर्वता प्रदान करेगा।

नोट 6—नोट 2 में निर्धारित प्रक्रिया के होते हुए भी, अनुच्छेद 10 में व्यक्तियों के पारस्परिक तथा उनकी पूर्वता को निम्नलिखित क्रम दिया जायेगा :—

- (1) उप-सभापति, राज्य सभा ;
- (2) उपाध्यक्ष, लोक सभा ;
- (3) केन्द्रीय राज्यमन्त्रीगण और रक्षा मामलों के लिए रक्षा मंत्रालय में अन्य मंत्री ;

- (4) राज्यों के उप-मुख्य मंत्री ;
- (5) योजना आयोग के सदस्यगण।

तथापि, राज्यों के उप-मुख्य मंत्रियों का स्थान अपने राज्यों के बाहर हमेशा ही अनुच्छेद में आने वाले अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से नीचे होगा।

नोट 7—एक ही तिथि को निर्वाचित होने की अवस्था में राज्यों की विधान परिषद् सभापतियों का स्थान विधान सभाओं के अध्यक्षों से पूर्व होगा।

नोट 8—उन बड़े राजकीय समारोहों में जहाँ संसद सदस्यों को सामूहिक रूप से आमंत्रित किया जाता है, उनके लिए सुरक्षित स्थान मुख्य न्यायाधिपति, लोक सभा अध्यक्ष, राजदूतों आदि के तुरन्त बाद होना चाहिए।

गोट 9—संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् के सभापति का स्थान उसी अनुच्छेद (आर्टिकल) में समाविष्ट मंत्रियों और कार्यकारी पार्षदों से पूर्व होगा।

गोट 10—अनुच्छेद 23 में :—

- (क) विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव के अलावा अन्य सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 1 में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे और वे दोनों विदेश सचिव के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।
- (ख) अल्पसङ्ख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति आयोग के सदस्यों को इन आयोगों के सचिवों से हमेशा ही पूर्वता प्राप्त होगी।
- (ग) दिल्ली/नई दिल्ली में होने वाले सरकारी समारोहों में आर्मी कमांडर्स/उप-सेना-ध्यक्ष तथा अन्य सेवाओं में उनके समकक्ष अधिकारी हमेशा ही भारत सरकार के सचिवों के बाद स्थान क्रम ग्रहण करेंगे।

गोट 11—अनुच्छेद 25 में :—

- (क) विदेश मंत्रालय में अपर सचिव आपस में भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड 11 में अपनी वरिष्ठता के अनुसार पूर्वता ग्रहण करेंगे।
- (ख) अपर महान्यायधिकर्ता को राज्यों के महाधिवक्ता से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी।
- (ग) उप-राज्यपालों के मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद से ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी और मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली की विधान सभाओं के अध्यक्षों और दिल्ली महानगर परिषद् के सभापति के ऊपर पूर्वता प्राप्त होगी।
- (घ) संघ शासित क्षेत्रों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद् के उप-सभापति संघ शासित क्षेत्रों के मंत्रियों तथा दिल्ली के कार्यकारी पार्षदों के बाद पूर्वता ग्रहण करेंगे।

गोट 12—अनुच्छेद 26 के प्रयोजन के लिए यह बात गृह मंत्रालय निर्धारित करेगा कि किन अधिकारियों के पद भारत सरकार के संयुक्त सचिवों के पदों के समान हैं।

के. 0 सी. 0 मादप्पा,  
राष्ट्रपति के सचिव।